बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधि०सं० :– 3/अ0प्र0–1–572/2011 1012 /पटना, दिनांक :– 2.6.2020

श्री निर्मल कुमार सिन्हा, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, नवादा अन्तर्गत अकबरपुर से मदैनी पथ में स्टोन मेटल ग्रेड–2 एवं ग्रेड–3 के ग्रेडिंग को अस्वीकार योग्य पाए जाने संबंधी अनियमितता के लिये विभागीय पत्रांक 15878 दिनांक 28.09.2012 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री सिन्हा से प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक 03.12.2012 में उल्लेख किया गया कि पथ परत के निर्माण के दरम्यान कभी–कभी किसी–किसी स्थान पर बड़े आकार के स्टोन एग्रीगेट Segregate कर जाते है, जिसके कारण किसी–किसी चलनी पर परसेन्टेज पासिंग निर्धारित रेन्ज से कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप चलनी विशेष पर Stone Aggregate over size परिलक्षित होता है। पथ परत पर निर्माण के दरम्यान पथबेलन से चपाई के कारण तथा नमूना एकत्र करने के लिए पथ परत की कटाई के समय Stone Aggregate में कुछ टूट हो जाती है। फलतः किसी–किसी चलनी पर Percentage passing अधिक हो जाता है, जिसके फलस्वरूप चलनी विशेष पर Stone Aggregate Under Size परिलक्षित होता है। ऐसी स्थिति में मात्र एक या दो चलनियों पर निर्धारित रेन्ज से थोड़ा विचलन के आधार पर Stone Aggregate को Unacceptable मानना उचित नहीं है।

3. श्री सिन्हा के स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी और पाया गया कि श्री सिन्हा के स्पष्टीकरण में उल्लेखित तथ्य संभावना पर आधारित है। प्रयोगशाला जॉच में स्टोन मेटल ग्रेड–2 एवं ग्रेड–3 में विचलन पाया जाना कार्य की निम्न गुणवत्ता को दर्शाता है। इस आधार पर श्री सिन्हा के स्पष्टीकरण को अस्वीकार योग्य पाया गया।

4. इस बीच श्री सिन्हा के सेवानिवृत होने के कारण उनके स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए विभाग द्वारा उनके विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के तहत कार्रवाई किये जाने का निर्णय लिया गया तथा श्री सिन्हा को विभागीय पत्रांक 858 अनु0 दिनांक 01.04.2019 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के तहत अपना बचाव बयान इस बिन्दु पर समर्पित करने का निदेश दिया गया कि क्यों नही उक्त आरोपों के लिए उनकी सेवा संतोषजनक नहीं मानते हुए दंड के रूप में पेंशन से आंशिक कटौती की जाय।

5. श्री सिन्हा से प्राप्त बचाव बयान दिनांक 04.05.2019 में उल्लेख किया गया है कि केन्द्रीय प्रयोगशाला, गया द्वारा समर्पित Stone Aggregate के परीक्षाफल में ग्रेड–2 एवं ग्रेड–3 स्टोन Aggregate के लिए अकबरपुर से मदैनी पथ से एकत्र नमुनों के AIV Test और water Absorption Test के जाँचफल अत्यन्त ही उच्च कोटि के तथा पूर्णतः विशिष्टि के अनुरूप है। स्मरणीय है कि AIV Test और water Absorption Test के परीक्षण फल से Stone Aggregate की भौतिक गुणवत्ता निर्धारित होती है। गुण नियंत्रक विभाग, गया द्वारा कार्य स्थल से संग्रहित Stone metal आवश्यक निर्धारित मात्रा 45 कि0ग्रा0 के स्थान पर मात्र क्रमशः 14.2, 16.40 कि0ग्रा0 एवं 22.10 एवं 22.5 कि0ग्रा0 संग्रहित किये गये है जो नियमसंगत नहीं है। जाँच पदाधिकारी द्वारा पथ की जाँच दिनांक 22.12.2012 को की गई है तथा उनके द्वारा पथ के सभी तरह के कार्य तथा कार्य में उपयोग हुए मेटल एवं अन्य सामग्री संतोषजनक पाए गए हैं। उनके सेवानिवृत्ति के पूर्व की कार्यवाही को नियम 139 के

अधीन Conversion नहीं किया जा सकता है तथा इसके अधीन निर्धारित समय सीमा 3 वर्ष की अवधि पेंशन स्वीकृति की तिथि से समाप्त हो चुकी है।

5. श्री सिन्हा के बचाव बयान की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी और पाया गया कि प्रश्नगत पथ में प्रयुक्त सामग्रियों की जाँच केन्द्रीय प्रयोगशाला, गया द्वारा की गयी है। जाँच में AIV Test और water Absorption Test के जाँचफल को स्वीकार योग्य पाया गया है, किन्तु स्टोन मेटल की ग्रेडिंग अस्वीकार योग्य पाया गया है। यदि AIV Test और water Absorption Test की कोटि से स्टोन मेटल की गुणवता निर्धारित होती, तो उसकी अलग–अलग जाँच किये जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। कार्य स्थल से संग्रहित Stone metal जाँच के लिए आवश्यक निर्धारित मात्रा में ली गयी है। यह मात्रा 45 कि0ग्रा0 लिये जाने की कोई अनिवार्यता नहीं है। जाँच पदाधिकारी द्वारा की गयी प्रारंभिक जाँच में स्टोन मैटल ग्रेड–2 एवं ग्रेड–3 की मुटाई की जाँच की गयी है, जबकि उसकी गुणवता की जाँच केन्द्रीय प्रयोगशाला, गया द्वारा की गयी, जिसमें उसकी ग्रेडिंग अस्वीकार योग्य है। बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 में पेंशन स्वीकृति की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर कार्रवाई किये जाने का प्रावधान है। उल्लेखनीय है कि श्री सिन्हा को औपबंधिक पेंशन की स्वीकृति दिनांक 12.07.2017 को दी गयी है। इस प्रकार तीन वर्ष के अन्दर ही श्री सिन्हा के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के तहत कार्रवाई प्रारंभ की गयी है। अतः इस आधार पर श्री सिन्हा का बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं है।

अतएव उक्त के आलोक में श्री निर्मल कुमार सिन्हा, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा, सम्प्रति सेवानिवृत्त के बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के तहत **पेंशन से अगले दो वर्षों तक 5 प्रतिशत की मासिक कटौती** की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

1/6/2020

(संजय दूबे)
अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–572/2011 1013 /पटना, दिनांक :– 2.6.2020

प्रतिलिपि :–प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार ,पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित।

1/6/2020.

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–572/2011 1013 /पटना, दिनांक :– 2.6.2020

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/6/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–572/2011 1013 /पटना, दिनांक :– 2.6.2020

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अचंल, मधेपुरा/कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, सुपौल/प्रशाखा पदाधिकारी–5, ग्रामीण कार्य विभाग/विभागीय आई0टी0 मैनेजर/श्री निर्मल कुमार सिन्हा, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा, सम्प्रति सेवानिवृत्त। पत्राचार का पता– फ्लैट नं0–108, उत्तम प्लेस, डाकघर–बी0भी0 कॉलेज, थना–शास्त्री नगर, जिला–पटना, पिन कोड–800014 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/6/2020

अपर सचिव